

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21 (7) 2023-24/विकास/प्रमुखसं/10596

दिनांक 11/12/2023

कार्यालय आदेश

लेखा सद 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 20-वानिकी संचार तथा भवनो का आधुनिकीकरण पुनर्जीवीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन, 21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 10007 दिनांक 10.11.2023 से अरण्य भवन जयपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट राशि में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

Name of CCF	Name of Div.	पूर्व में आवंटित राशि	संशोधित आवंटित राशि	वि.वि.
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	200.00	0.00	
	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	0.00	200.00	अरण्य भवन जयपुर हेतु

अन्य शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेगी। आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

(पी.के.उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 21 (7) 2023-24/विकास/प्रमुखसं/10597-603

दिनांक 11/12/2023

प्रतिलिपि:-निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर
- उप वन संरक्षक, जयपुर/जयपुर (उत्तर)।
- प्रभारी अंक मिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/18701

दिनांक: 14/12/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 48(II) "राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाने जायेंगे" के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 6628 दिनांक 03.08.2023 द्वारा आवंटित कार्य स्थलों में उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर के पत्रांक 6541 दिनांक 13.12.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार स्थापित किये जाने वाले पक्षी घर के स्थान में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)	पूर्व में प्रस्तावित स्थान	संशोधित स्थान
4406-02-111 -02-00-16 लघु निर्माण कार्य	बीकानेर	श्रीगंगानगर	8.00	वर्ष 2022-23 में स्थापित लव कुश वाटिका	वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित लव कुश वाटिका, सूरतगढ़ श्री गंगानगर

- उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
- कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जायें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
- बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापचयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य सम्बंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए सुन्दर सीमा में एवं इन नियमों/आदेशों की अंतिम पालना करने वाले अधिकारियों/अभिधिकृतियों के लिये ज़िम्मेदार रूप से उत्तरदायी होंगे।
- वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(प्रधान के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/10702-07

दिनांक: 14/12/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
- उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर।
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (शा.व्ययकी अनुमति)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ 21(7)2023-24/विकास/प्रमुवसं/ 10606

दिनांक 13/12/2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के बजट आवंटन समसंख्यक पत्र क्रमांक 553-73 दिनांक 01.05.2023 परिशिष्ट-11(ख) के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु लेखा मद 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, (11)- जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक, 63-वृक्षारोपण में उप वन संरक्षक, पाली को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रत्याहरित कर उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प. स्टेज- II, जैसलमेर को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु पूर्व में आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य		जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य (है0में)	वित्तीय लक्ष्य (रु.लाखों में) @42221per Ha.	भौतिक लक्ष्य (है0में)	वित्तीय लक्ष्य (रु.लाखों में) @42221 per Ha.
मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	उप वन संरक्षक, पाली	50	21.11	0	0
	उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प. स्टेज- II, जैसलमेर	1200	506.67	1250	527.76
	योग:-	1250	527.76	1250	527.76

अन्य शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेगी। आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(7)2023-24/विकास/प्रमुवसं/ 10607-13

दिनांक 13/12/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, पाली/इ.गा.न.प. स्टेज- II, जैसलमेर ।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कन्सल्टिंग शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर